

निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 240/2020 (धारा 14 सिक्थोरिटाइजेशन)  
जम्बो फ्लिन्वेस्ट (इण्डिया) लि) कार्यालय 102, कंचन अपार्टमेंट, एल डी एस कालेज के सामने तिलक  
नगर, जयपुर।

बनाम

1. श्रीमती राधा शर्मा उर्फ राधा रानी उर्फ सादेश्वरी शर्मा पुत्री श्री प्रेम नारायण शर्मा पत्नी श्री अशोक कुमार शर्मा  
पता-मकान नं. 294 मोहन नगर चार्ड नं. 11 हिण्डोन सिटी, तहसील हिण्डोन, जिला करौली राजस्थान।  
दूसरा पता- एफ-159, एस डी एम कोर्ट के पीछे, मोहन नगर, हिण्डोन, करौली, राजस्थान।
2. अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री दामोदर प्रसाद शर्मा  
पता-मकान नं. 294, मोहन नगर, हिण्डोन सिटी, तहसील हिण्डोन, जिला करौली, राजस्थान।
3. भूरमल जाट पुत्र शिव राम जाट  
पता-गांव बाजना कला, हिण्डोन, करौली, राजस्थान।

अप्रार्थीगण  
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002.



स्थित:-  
1. श्री भवानी सिंह नरुका अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक

04.01.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.12.2018 को पुनर्मुर्तान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती राधा शर्मा उर्फ सादेश्वरी शर्मा पत्नी श्री अशोक कुमार शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति आवासीय प्लॉट नं. 4 ए, जगन्नाथपुरी ब्लॉक ए, गोपालपुरा बाईपास जयपुर क्षेत्रफल 162.96 वर्गगज को बंधक रख कर 22,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अप्रार्थीगण को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 09.01.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002, की

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 24 अक्टूबर 2018 को क्रम संख्या 13 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 22,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 24,71,829/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थी हरिमोहन के विधिक वारीसान को दिनांक 09.01.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती राधा शर्मा उर्फ यादेश्वरी शर्मा पत्नी श्री अशोक कुमार शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति आवासीय प्लॉट नं. 4 ए, जगन्नाथपुरी ब्लॉक ए, गोपालपुरा बाईपास जयपुर क्षेत्रफल 162.96 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो।
8. आदेश आज दिनांक 04.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।



4/1/21  
(अन्तर सिंह नेहरा)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कानून) जयपुर